राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–406 / 2025

राकेश गुप्ता

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय, पशु पालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम, हैरिटेज, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :–03.02.2025

समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले (अध्यक्ष)
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता उपस्थित एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से सुश्री राधिका महरवाल, अति. राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण नगर निगम, हैरिटेज, जयपुर से ग्रा.ब.उ.प.चि. हिंगोनिया, जयपुर में किया गया है।
4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या–3364 / 2025 प्रस्तुत की थी, जिसमें अपीलार्थी ने पूर्व में पारित आदेश दिनांक 07.11.2024 को चुनौती दी थी। उक्त अपील अभी तक लम्बित है। फिर भी अपील लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी का पुनः स्थानान्तरण किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं हैं।
5. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये तर्को पर विचार किया। हम पाते हैं कि वर्तमान स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी के सम्बन्ध में यह विवरण अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति में मात्र 7 माह का समय

शेष है। इस कारण से उनका पदस्थापन मूल विभाग में किया जा रहा है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित है। ऐसे में अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर अपीलार्थी को अपने मूल विभाग में पदस्थापित किया है, जो अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में मात्र 7 माह का समय शेष होने के कारण किया गया है। स्थानांतरण का जो कारण अंकित किया गया है, वह उचित है। पूर्व में अपीलार्थी के पक्ष में जो स्थगन आदेश पारित किया गया था वह केवल इस आधार पर पारित किया गया था कि अपीलार्थी का स्थानांतरण अल्पावधि में किया गया था। वर्तमान में अपीलार्थी को भिन्न आधार पर स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी को अन्य अपील में स्थगन आदेश प्राप्त होने के आधार पर वर्तमान आलोच्य आदेश को गलत होना नहीं माना जा सकता, जबकि आलोच्य आदेश में स्थानान्तरण का उचित कारण अंकित है।

6. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी को स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष